न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 333/2025
ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, बुगाला, तहसील नलवगढ़, जिला झुंझुनूं (राज0) जरिये व्यवस्थापक संदीप कुमार पुत्र श्री गोदाराम, निवासी ग्राम बुगाला, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं (राज0)

––अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व लोक अभियोजक झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0)

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 10.09.2025

उपस्थितः–

1. श्री कपिल पायल , एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से
2. श्रीमती अनामिका, विभागीय पैरोकार– रेस्पोडेन्ट की ओर से

आदेश

दिनांक 01.01.2026

उक्त विषयक अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 10.09.2025 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी ग्राम बुगाला, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं में जरिये प्राधिकार पत्र सं0 80/94 के द्वारा उचित मूल्य दुकानदार/राशन डीलर है। दिनांक 13.08.2025 को आकस्मिक निरीक्षण के आधार पर की गई कार्यवाही पर रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विधिनुकूल कार्यवाही नहीं कर दिनांक 10.09.2025 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं0 80/94 एवं पोस कोड 25516 निरस्त कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट की ओर से अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2025 विरुद्ध पत्रावली है। अपीलान्ट के विरुद्ध आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 13.08.2025 के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा दिनांक 14.08.2025 को अपीलान्ट के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जरिये पत्र कमांक रसद/अभियोग/2025/728ए जारी कर दिनांक 10.09.2025 को मय सबूत/अभिलिखित अपना पक्ष रखने हेतु जारी किया गया। तत्पश्चात पुनः अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा दिनांक 26.08.2025 को कारण बताओं नोटिस जरिये पत्र कमांक रसद/अभियोग/2025/807 जारी कर दिनांक 10.09.2025 को मय सबूत/अभिलिखित अपना पक्ष रखने हेतु जारी किया गया। उक्त नोटिस अपीलान्ट को कभी भी प्राप्त नहीं हुआ इस कारण अपीलान्ट उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सका। अपीलान्ट द्वारा नियत समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण बिना जांच किए ही अपीलान्ट के विरुद्ध एकपक्षीय कर आदेश दिनांक 10.09.2025 जारी किया गया है जो विधि विरुद्ध होने से खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा कारण बताओं नोटिस में पैरा नं0 1 में यह दर्ज किया गया है कि उचित मूल्य दुकान बंद पाई गई जबकि दिनांक 13.08.2025 को अपीलान्ट का दुकान का किसी प्रकार का आकस्मिक निरीक्षण नहीं हुआ था। इसके पश्चात् फर्द मौका जांच रिपोर्ट गलत रूप से तैयार की गई है जबकि अपीलान्ट द्वारा वितरण सही रूप से किया जाता रहा है। फर्द मौका रिपोर्ट में किसी को स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया है जो कानूनन आवश्यक है। फर्द मौका रिपोर्ट मनमर्जी से तैयार की गई है जबकि वितरण में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। फर्द मौका रिपोर्ट तैयार करने के समय अपीलान्ट की माता का स्वर्गवास होने के कारण अपीलान्ट स्वयं उपस्थित नहीं हो सका

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

था। अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य दुकान में मनरूप नामक व्यक्ति को 5000/– रुपये मेहनताने पर नहीं रखा गया है जबकि कारण बताओ नोटिस की पैरा नं0 4 में मनरूप पुत्र मामराज को 5000/– रुपये मेहनताने पर सबलेट करने का कथन गलत रूप से किया गया है। उचित मूल्य दुकान उक्त मनरूप पुत्र मामराज के स्वामित्व की भूमि पर संचालित है जिसका अपीलान्ट द्वारा प्रतिमाह किराया 5000/–रुपये मनरूप पुत्र मामराज को अदा किया जाता है। उक्त तथ्य को तोड़मरोड़ कर गलत रूप से सबलेट करने का कथन किया गया है जिस पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने गौर नहीं कर अपीलान्ट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की है। उक्त तथ्यों की जांच किये बिना ही अपीलान्ट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर आदेश दिनांक 10.09.2025 जारी किया गया है। उचित मूल्य दुकान में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी राशन सामग्री वितरण में नहीं की गई है तथा उचित मूल्य दुकान में किसी प्रकार का कोई स्टॉक भी कम नहीं था लेकिन राजनैतिक दबाव में आकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में जांच कर अपीलान्ट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर आदेश दिनांक 10.09.2025 जारी किया गया है। अपीलान्ट को प्राधिकार पत्र व पोस कोड निरस्त करने के बाद अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 1 के अधिकृत व्यक्ति को चार्ज सुपुर्द करते समय स्टॉक का मिलान किया गया था जिसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं थी तथा स्टॉक मौके पर पूर्ण पाया गया था। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट के विरुद्ध केवल मात्र राजनैतिक द्वेषता से कार्यवाही की गई है। जांच के दौरान किसी भी उपभोक्ता ने राशन नहीं मिलने की शिकायत नही की है इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने उक्त तथ्यों पर ध्यान नहीं देकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र व पोस कोड निरस्त कर गलती कानूनी की है। अपीलान्ट दिनांक 08.08.2025 को बीमार हो गया था तथा निरन्तर जैर ईलाज रहा है। इसी दौरान दिनांक 02.09.2025 को अपीलान्ट की माताजी का स्वर्गवास हो गया जिसकी मौखिक सूचना अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 1 को दी गई थी परन्तु उक्त तथ्यों पर गौर नहीं कर व अपीलान्ट को बिना साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये गलत रूप से रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र व पोस कोड निरस्त कर कानूनी गलती की गई है। अपीलान्ट के विरुद्ध पूर्व में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रही है, ना ही पूर्व में अपीलान्ट को किसी प्रकार की जांच में दोषी पाया गया है। वर्तमान जांच रिपोर्ट में भी व्यक्तिगत द्वेषता रखने वाले व्यक्तियों के दबाव में आकर गलत रिपोर्ट तैयार की गई तथा किसी लिखित मौखिक व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से अपीलान्ट के विरुद्ध सामग्री वितरण में अनियमितता की पुष्टि नहीं की है। उक्त तथ्यों पर गौर नहीं कर रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र व पोस कोड निरस्त कर कानूनी गलती की गई है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा दिनांक 10.09.2025 को आदेश पारित कर निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र सं0 80/94 एवं पोस कोड 25516 को बहाल कर आदेश दिनांक 10.09.2025 को निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2025 विरुद्ध पत्रावली है। अपीलान्ट के विरुद्ध आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 13.08.2025 के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा दिनांक 14.08.2025 को अपीलान्ट के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जरिये पत्र कमांक रसद/अभियोग/2025/728ए जारी कर दिनांक 10.09.2025 को मय सबूत/अभिलिखित अपना पक्ष रखने हेतु जारी किया गया। तत्पश्चात पुनः अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा दिनांक 26.08.2025 को कारण बताओं नोटिस जरिये पत्र कमांक रसद/अभियोग/2025/807 जारी कर दिनांक 10.09.2025 को मय सबूत/अभिलिखित अपना पक्ष रखने हेतु जारी किया गया। उक्त नोटिस अपीलान्ट को कभी भी प्राप्त नहीं हुआ इस कारण अपीलान्ट उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सका। अपीलान्ट द्वारा नियत समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण बिना जांच किए ही अपीलान्ट के विरुद्ध एकपक्षीय कर आदेश दिनांक 10.09.2025 जारी किया गया है जो विधि विरुद्ध होने से खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा कारण बताओ नोटिस में पैरा नं0 1 में यह दर्ज किया गया है कि उचित मूल्य दुकान बंद पाई गई जबकि दिनांक 13.08.2025 को अपीलान्ट का दुकान का किसी प्रकार का आकस्मिक निरीक्षण नहीं हुआ था। इसके पश्चात् फर्द मौका जांच रिपोर्ट गलत रूप से तैयार की गई है जबकि अपीलान्ट द्वारा वितरण सही रूप से किया जाता रहा है। फर्द मौका रिपोर्ट में किसी को स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया है जो कानूनन आवश्यक है। फर्द मौका रिपोर्ट मनमर्जी से तैयार की गई है

जबकि वितरण में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। फर्द मौका रिपोर्ट तैयार करने के समय अपीलान्ट की माता का स्वर्गवास होने के कारण अपीलान्ट स्वयं उपस्थित नहीं हो सका था। अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य दुकान में मनरूप नामक व्यक्ति को 5000/– रुपये मेहनताने पर नहीं रखा गया है जबकि कारण बताओ नोटिस की पैरा नं0 4 में मनरूप पुत्र मामराज को 5000/– रुपये मेहनताने पर सबलेट करने का कथन गलत रूप से किया गया है। उचित मूल्य दुकान उक्त मनरूप पुत्र मामराज के स्वामित्व की भूमि पर संचालित है जिसका अपीलान्ट द्वारा प्रतिमाह किराया 5000/–रुपये मनरूप पुत्र मामराज को अदा किया जाता है। उक्त तथ्य को तोड़मरोड़ कर गलत रूप से सबलेट करने का कथन किया गया है जिस पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने गौर नहीं कर अपीलान्ट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की है। उक्त तथ्यों की जांच किये बिना ही अपीलान्ट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर आदेश दिनांक 10.09.2025 जारी किया गया है। उचित मूल्य दुकान में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी राशन सामग्री वितरण में नहीं की गई है तथा उचित मूल्य दुकान में किसी प्रकार का कोई स्टॉक भी कम नहीं था लेकिन राजनैतिक दबाव में आकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में जांच कर अपीलान्ट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर आदेश दिनांक 10.09.2025 जारी किया गया है। अपीलान्ट को प्राधिकार पत्र व पोस कोड निरस्त करने के बाद अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 1 के अधिकृत व्यक्ति को चार्ज सुपुर्द करते समय स्टॉक का मिलान किया गया था जिसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं थी तथा स्टॉक मौके पर पूर्ण पाया गया था। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट के विरुद्ध केवल मात्र राजनैतिक द्वेषता से कार्यवाही की गई है। जांच के दौरान किसी भी उपभोक्ता ने राशन नहीं मिलने की शिकायत नही की है इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने उक्त तथ्यों पर ध्यान नहीं देकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र व पोस कोड निरस्त कर गलती कानूनी की है। अपीलान्ट दिनांक 08.08.2025 को बीमार हो गया था तथा निरन्तर जैर ईलाज रहा है। इसी दौरान दिनांक 02.09.2025 को अपीलान्ट की माताजी का स्वर्गवास हो गया जिसकी मौखिक सूचना अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 1 को दी गई थी परन्तु उक्त तथ्यों पर गौर नहीं कर व अपीलान्ट को बिना साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये गलत रूप से रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र व पोस कोड निरस्त कर कानूनी गलती की गई है। अपीलान्ट के विरुद्ध पूर्व में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रही है, ना ही पूर्व में अपीलान्ट को किसी प्रकार की जांच में दोषी पाया गया है। वर्तमान जांच रिपोर्ट में भी व्यक्तिगत द्वेषता रखने वाले व्यक्तियों के दबाव में आकर गलत रिपोर्ट तैयार की गई तथा किसी लिखित मौखिक व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से अपीलान्ट के विरुद्ध सामग्री वितरण में अनियमितता की पुष्टि नहीं की है। उक्त तथ्यों पर गौर नहीं कर रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र व पोस कोड निरस्त कर कानूनी गलती की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा दिनांक 10.09.2025 को आदेश पारित कर निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र सं0 80/94 एवं पोस कोड 25516 को बहाल कर आदेश दिनांक 10.09.2025 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान विभागीय पैरोकार ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने जो मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 02.09.2025 पेश किया है वह अपीलान्ट की माता का होना संदेहप्रद है क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र में मृतक के पति/पिता का नाम अपीलान्ट से मेल नहीं खा रहा है। अपीलान्ट द्वारा राशन की दुकान अनाधिकृत व्यक्ति से संचालित करवाई जा रही थी निरीक्षण के वक्त उक्त अनाधिकृत व्यक्ति ही दुकान पर उपस्थित था जिसने अपनी उपस्थिति में निरीक्षण कराया व फर्द मौका रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किए अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है। जांच रिपोर्ट पर स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर भी हैं। अपीलान्ट को दिनांक 10.09.2025 को निलंबित किया गया था परन्तु फिर भी अपीलान्ट ने अपना कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही बाद जांच नियमानुसार की गई है अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील अपीलान्ट व विभागीय प्रतिनिधि पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा की गई बहस मे अहम तर्क यह रहे कि अपीलान्ट ने जो मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 02.09.2025 पेश किया है वह अपीलान्ट की माता का होना संदेहप्रद है क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र में मृतक के पति/पिता का नाम अपीलान्ट से मेल नहीं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

खा रहा है। अपीलान्ट द्वारा राशन की दुकान अनाधिकृत व्यक्ति से संचालित करवाई जा रही थी निरीक्षण के वक्त उक्त अनाधिकृत व्यक्ति ही दुकान पर उपस्थित था जिसने अपनी उपस्थिति में निरीक्षण कराया व फर्द मौका रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किए। अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है। जांच रिपोर्ट पर स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर भी हैं। अपीलान्ट को दिनांक 10.09.2025 को निलंबित किया गया था परन्तु फिर भी अपीलान्ट ने अपना कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही बाद जांच नियमानुसार की गई है। विभागीय प्रतिनिधि के कथन उचित प्रतीत होते हैं। अतः ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की यह अपील सारहीन व बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने से अपीलान्ट की यह अपील खारीज की जाती है तथा अदालत मातहत का आदेश दिनांक 10.09.2025 यथावत रखा जाता है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण शर्मा)
जिला कलक्टर, झुंझुनू